'राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की परम्परा केवल भाजपा में है'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरसिंहपुरा में आयोजित संगठन वर्ष में जनसभा को संबोधित किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगरू के नरसिंहपुरा में आयोजित भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के संगठन पर्व को संबोधित किया।

- **उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। किसानों को गेहूँ की एमएसपी में 125 रूपए अतिरिक्त व सम्मान निधि की 2000 रूपए की अतिरिक्त किश्त प्रदान की जा रही है। युवाओं को भी 60 हजार पदों पर नियुक्ति दी है।**

जयपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की परम्परा का निर्वहन निरंतर रूप से जारी है और इसी दिशा में संगठन के चुनाव संपादित किए जाते हैं।

शर्मा बुधवार को बगरू के नरसिंहपुरा में आयोजित भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के संगठन पर्व 2024 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों, महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी दिशा में, किसानों को गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये अतिरिक्त व किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किश्त के रूप में 2000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, युवाओं को अब तक लगभग 60 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ऊर्जा क्षेत्र में 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए हैं।

कार्यक्रम में जिला प्रभारी विमल अग्रवाल, विधायक बगरू कैलाश वर्मा, जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा, पूर्व विधायक मानसिंह, चुनाव अधिकारी जगवीर छाबा, पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा नारायण मीना, प्रदेश महामंत्री एससी मोर्चा मुकेश गर्ग सहित, संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर और स्मृतिचिन्ह भेंट कर स्वागत किया।

'मैडिकल पीजी दाखिले में डोमिसाइल रिज़र्वेशन असंवैधानिक'

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल में दाखिले के लिए निवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्य स्तरीय निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक कानून के तहत अस्वीकार्य है।

पीठ ने कहा, पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।**

आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य स्तरीय आरक्षण की सीटें पूरी तरह से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए।

पीठ ने प्रदीप जैन और सौरभ चंद्रा मामलों में पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि संवैधानिक ढ ांचे को बनाए रखने के लिए निवास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।

न्यायमूर्ति धूलिया ने निर्णय के तर्क को पढ़ ते हुए कहा, हम सभी भारत की सीमा में निवास करते हैं। प्रांतीय या राज्य निवास जैसा कुछ नहीं है। हम सभी भारत के निवासी हैं।

भांकरोटा फ्लाईओवर 31 मार्च तक पूरा होगा- एनएचएआई

- **हाई कोर्ट ने कहा, हाईवे की सर्विस रोड पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।**

जयपुर, 29 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से सर्विस रोड के अतिक्रमणों को लेकर, तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि मौके से अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। अदालत ने फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि हाईवे पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने ये आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना में एनएचएआई (नैशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के प्रोजेक्ट निदेशक अजय आर्य और डीसीपी ट्रैफिक सागर अदालत में हाजिर हुए। एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि वर्तमान में चार फ्लाईओवर का काम पूरा होकर उन पर यातायात सुचारू रुप से चल रहा है। वहीं, भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है और उसे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमा रोज और कमलेश रोज ने कहा कि हाईवे के दोनों ओर स्थित सर्विस लेन पर भी काफी अतिक्रमण हैं और इनके कारण भी ट्रैफिक जाम रहता है। इस पर अदालत ने कहा कि यहां किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हाईवे को अतिक्रमण मुक्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां जगह-जगह घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं। गौरतलब है कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनएचएआई के अधिकारियों सहित, अन्य संबंधित अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए थे।

एक और चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए जेल से रिहा हुए थे, इस दौरान हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा था। गत वर्ष लोकसभा चुनावों से पहले गुरमीत राम रहीम को 51 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। नवम्बर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान बाबा 21 दिनों के लिए पैरोल पर रहे।

जनवरी 2023 में हरियाणा पंचायत चुनावों के दौरान बाबा 70 दिनों तक पैरोल पर रहे। अक्टूबर 2022 में महत्वपूर्ण आदमपुर सीट के उपचुनाव के समय बाबा को 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। फरवरी 2022 में राम रहीम 21 दिनों के लिए पैरोल पर थे।

माना जाता है कि बाबा के भक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हालांकि, कांग्रेस और भाजपा राम रहीम के संपर्क में रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में, बाबा ने आमतौर पर भाजपा को समर्थन दिया है। सन् 2014 के हरियाणा चुनावों में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कॉल पर, बाबा ने अपने समर्थकों से भाजपा को समर्थन देने के लिए कहा था।

कांग्रेस इतनी देर से सक्रिय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसमें वृद्धि कर पाना मुश्किल है।

रोचक बात यह है कि अशोक गहलोत जैसे कई वरिष्ठ नेता प्रचार के लिये दिल्ली आये थे तथा उन्होंने कांग्रेस की गारन्टियों की घोषणाएं भी की थीं, लेकिन उसके बाद, वे नेतागण भी नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की गारंटियों का मुद्दा नहीं उठाया।

केवल सचिन पायलट, दीपेन्द्र हूडा जैसे युवा नेता ही दिल्ली में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं।

यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी इसलिए अपने ब्रान्ड को बचाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि कांग्रेस दिल्ली को जीतने की स्थिति में नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव उतनी गंभीरता से नहीं लड़ा, जितनी गंभीरता से लड़ना चाहिये था और पूरा मैदान आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिये खुला छोड़ दिया गया।

'कुप्रबंधन व वीआईपी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय है, कई महास्नान होने है। सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो।"

गांधी ने कहा, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई जानी चाहिए तथा आम श्रृद्धालुओं की जरुरत पूरी करने के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और लिखा, "भगवान मरने वालों की आत्मा को शांति दें। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ।"

उन्होंने वॉट्सऐप चैनल पर दी अपनी पोस्ट में कहा कि कुंभ जाने वाले लोग लगातार अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं, पर, उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार से अपील की कि एयर एम्बुलैंस से घायलों को इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेजा जाए।

उन्होंने कहा, मृतकों की पहचान कर उनके शव उनके परिवार तक पहुंच जाए। श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था की जाए। उन्होंने लोगों से धैर्य और शांति से स्नान करने की अपील की। प्रियंका ने लिखा, "मां गंगा सभी की रक्षा करें।" कांग्रेस के मीडिया के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ में कई भक्तों की मौत की खबर बेहद दुखदायक है। जब भी इतनी भारी भीड़ होती है और आधे-अधुरे इतंजाम होते है तो ऐसे हादसे होने का खतरा बना रहता है। अभी कई महास्नान बचे है। आवश्यक सुरक्षा बल तैनात किए जाएं और प्रबंध की जिम्मेवारी योगी की बजाय किसी बेहतर प्रशासक को दी जाए तथा वीआईपी मूवमैंट पर रोक लगाई जाए।

'सरकार बनी तो सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देंगे'

बड़ी-बड़ी घोषणाओं के साथ दिल्ली कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, महासचिव जयराम रमेश ने

- **घोषणा पत्र में जयराम रमेश ने कहा, यह सिर्फ गारंटी नहीं, बल्कि जनता का हक है जो उन्हें दिया जाएगा।**

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये घोषणापत्र जारी किया और दिल्लीवासियों से वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है, तो जातिगत सर्वेक्षण करवाकर गरीबों का उत्थान करने का काम करेगी और छह महीने के भीतर मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करवायेगी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुये कहा, हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाये कि कांग्रेस जो कहती है, वह करती है। ये गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं है, बल्कि ये जनता का हक है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिये अपनी पांच गारंटी बहुत पहले ही दे दी हैं, जिन्हें पूरा किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था। उन्होंने कहा कि गारंटी का मतलब यह है कि यदि सरकार उसे लागू नहीं करती है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा, हमने दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुनकर अपना घोषणापत्र तैयार किया है। घोषणापत्र में हमने दिल्ली के मुद्दों और लोगों की जरूरतों को शामिल किया है। हमने अपने घोषणापत्र में पूर्वांचल के लोगों के लिये अलग से मुद्दे शामिल किये हैं और दिल्ली के गांवों के लिये विशेष योजनायें रखी हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को हर महीने 2500 रुपये देने, जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत दिल्ली के सभी निवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, युवा उड़ान योजना, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संस्थान में एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप देंगे, इस दौरान उन्हें 8500 रुपए हर महीने मिलेंगे, महंगाई मुक्त योजना, जिसके तहत 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, हर महीने 02 किग्रा चीनी, एक किग्रा कुकिंग ऑयल, छह किग्रा दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती समेत, एक मुफ्त राशन किट देने का वादा और मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत सभी पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी पांच गारंटियों का एलान किया था।

कांग्रेस ने छठ महापर्व को महाकुंभ की तर्ज पर मनाने, छठ पूजा के दिन सवेतन अवकाश देंगे और उस दिन शराब की दुकानों को बंद रखने, अग्निपथ योजना को वापस लेने और सभी अग्निवीरों को स्थाई करने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने, हर विधान सभा में 24 घंटे डिस्पेंसरी और हर वार्ड में कम से कम एक डिस्पेंसरी स्थापित करने और नयी शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिये दिल्ली शिक्षा नीति पेश करने का वादा किया है। कांग्रेस ने यमुना की सफाई करने, डीटीसी बसों की संख्या बढ़ ाने और सरकार बनने पर सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा किया है।

क्या बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिक्षा के लिये रिकॉर्ड-तोड़ बजट और हजारों नये शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों को निशुल्क भोजन और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराते हुये, राज्य के वातावरण को बदलने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन आँकड़े बड़ी निराशाजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। मूल समस्या स्कूली शिक्षा की ही है। पाँचवीं कक्षा के 63 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तक नहीं पढ़ सकते। एक अन्य मुद्दा उपस्थिति का है, जो बोर्ड परीक्षाओं के अलावा, प्राय: 20 प्रतिशत के आस पास रहती है।

केवल 20 प्रतिशत उपस्थिति के लिये, बिहार 54,000 करोड़ रु. की विशाल राशि प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है। हर व्यक्ति एक ही सवाल कर रहा है कि क्या बिहार की स्कूली शिक्षा बचाई जा सकती है।

'जो शरिया नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन की बैंच ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह चार सप्ताह में इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे। इस मामले की अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में होगी।

सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बैंच को बताया कि याचिकाकर्ता के केवल एक पुत्री है और वह अपनी सारी सम्पत्ति अपनी बेटी को देना चाहती है लेकिन शरीयत कानून उसे केवल 50 प्रतिशत सम्पत्ति देने की ही अनुमति देती है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कई मुद्दों पर विचार होना चाहिये तथा उन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का भी जिक्र किया। उन्होंने 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी, उत्तराधिकार पर कुछ प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो किसी हिन्दू द्वारा अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लेने की स्थिति में लगाये जाते हैं।

उक्त महिला सफिया की याचिका में कहा गया है कि शरीयत कानून कहता है कि जो मुस्लिम, इस्लाम धर्म छोड़ देगा, उसे समुदाय से बाहर कर दिया जायेगा तथा इसके बाद, वह अपनी पैतृक सम्पत्ति में किसी प्रकार के उत्तराधिकार का हकदार नहीं होगा।

याचिका में कहा गया है कि शरीयत कानून के अनुसार, कोई मुस्लिम, अपनी वसीयत के जरिये, अपनी सम्पत्ति के एक-तिहाई से ज्यादा भाग नहीं दे सकता है।

योगी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे लोगों को रौंदते चले गये।

उन्होंने कहा कि हादसे के बाद बगैर विलंब किये ग्रीन कारिडोर बना कर घायलों को अस्पताल भेजा गया मगर 30 लोगों को बचाया नहीं जा सका।

'प्रदेश में अवैध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए, देश की सभी प्रदेश सरकारों को कहा था कि वे अवैध निर्माण रोकने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें। वहीं, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद, मास्टर प्लान और जोनल प्लान के खिलाफ जाकर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों का कॉलोनियों में रहना दूभर हो रहा है। याचिका में कहा गया कि राजधानी के कई इलाकों में जीरो सेटबैक पर निर्माण किया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता संस्था की ओर से कई बार जेडीए और राज्य सरकार को शिकायत की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई अधिकारी इस आदेश की पालना ना करे तो उसे अदालती आदेश की अवमानना माना जाए। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह 17 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और जेडीए से जवाब तलब किया है।

'तीन तलाक पर देशभर में कितने केस चल रहे हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम को चुनौती देनी वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। उक्त कानून के तहत तीन तलाक अपराध है, जिस पर पति को तीन साल की जेल भी हो सकती है।**

नई दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र सरकार के मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रतिबंधित तीन तलाक के जरिए तलाक के मामलों में मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दाखिल आरोप पत्र की संख्या का आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने तीन तलाक को अपराध बनाने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "अब सभी मुकदमे केंद्रीकृत हो गए हैं.. अब हमें बताएं कि कितने मामले लंबित हैं। क्या अन्य उच्च न्यायालयों में कोई चुनौती लंबित है।"

मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कानून का बचाव किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कानून जरूरी है। इसमें रोकथाम (तलाक) के प्रावधान हैं। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र ने तीन तलाक कहने के कृत्य को ही दंडित किया है।एक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निजाम पाशा ने कहा कि अब कानून के तहत केवल घोषणा करने पर भी दंड लगाया जाता है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद ने तर्क दिया कि इस तरह के बयान और भावनात्मक हिंसा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आते हैं।

हालांकि, मेहता ने कहा, "यह ऐसा है जैसे कह दिया जाए कि अगले ही पल से तुम मेरी पत्नी नहीं हो और एक इंसान हो जिसे एक आदमी की जिंदगी और घर से भी निकाल दिया गया है।"इस पर पीठ ने कहा, "हमें नहीं लगता कि घरेलू हिंसा अधिनियम इसके अंतर्गत आएगा।"

पीठ ने संबंधित पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने मेहता से ग्रामीण इलाकों के आंकड़ों सहित दर्ज मुकदमों की संख्या की जांच करने और आंकड़े देने को कहा।पीठ ने कहा, "उन्हें (केंद्र) आंकड़े दाखिल करने दें। हम वास्तविक स्थिति जान लेंगे कि क्या है।"

पाशा ने कहा कि किसी अन्य समुदाय में परित्याग कोई अपराध नहीं है। इस पर मेहता ने कहा कि अन्य समुदायों में तीन तलाक की प्रथा नहीं है। शमशाद ने दलील दी कि आपराधिक मामलों में (दिल्ली में भी) जब मारपीट आदि का गंभीर मामला होता है, तो वैवाहिक मामलों में महीनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता।

हरियाणा के सी.एम. ने दिल्ली में पिया यमुना का पानी

नई दिल्ली, 29 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को दिल्ली के पल्ला गांव के पास स्थित यमुना नदी तट पर पहुंचे और यमुना का पानी पिया। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल में ही आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है। यमुना का पानी पीने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं यहां यमुना नदी के तट पर आया हूं और यमुना नदी का पानी पिया है। जल संसाधन प्राधिकरण ने यहां से पानी के नमूने लिए और पानी में कोई जहर नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि यमुना नदी को जहरीला कर दिया है। उन्होंने सामूहिक नरसंहार की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने जीवन भर झूठ बोला है और अब भी वह झूठ ही बोल रहे हैं।

महाकुंभ में बैरिकेड्स टूटने ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **हादसे की जानकारी मिलने पर संतों के अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया, बाद में हालात सामान्य होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर अखाड़ों ने अमृत स्नान में भाग लिया।**
- **हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख जताया तथा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर हालात की जानकारी ली।**

आदित्यनाथ ने सभी पूज्य संतों, महामंडलेश्वरों से आग्रह किया था कि वे इन अमृत स्नानों के भागीदार बनें।

कृष्ण ने बताया कि अमृत स्नान पर्व में आज कोई वीवीआईपी अथवा वीआईपी प्रोटोकाल नहीं था और आगामी अमृत स्नान पर्व में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही, मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उसमें कई पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सरकार से लगातार संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से भीड़ है। कुछ देर के लिए स्नान रुका था, अब सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल, मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पॉन्टून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठी होती चली गई। ज्यादातर श्रद्धालु जल्दी स्नान करने के लिए संगम तट पर ही भोर होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मच गई। दूसरी ओर, संगम नोज़ पर एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते अलग-अलग नहीं थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो श्रद्धालुओं को भागने का मौका नहीं मिला। प्रयागराज में बुधवार को 9 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला प्रशासन ने प्रयागराज आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ते बंद करने और बड़े स्तर पर बद-इंतजामी की वजह से भगदड़ हुई और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को इस दु:ख को सहने की शक्ति दे। सभी श्रद्धालु संयम रखते हुए सुरक्षा नियमों और निर्देशों का पालन करे।

एस.ओ.जी. ने हाईकोर्ट एल.डी.सी. भर्ती परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

19 मार्च 2023 को 12 बजे से 2 बजे के बीच हुई थी, जिसका आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने किया था। परीक्षा का परिणाम 11 जून 2023 को जारी किया गया था। यह परीक्षा 2800 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। जिला जालौर, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, चुरू, सीकर और ब्यावर में पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीमें गठित कर आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है।

एसओजी ने इस मामले में द्रोपदी सिहाग निवासी नौखा बीकानेर, सुनीता निवासी श्रीगंगानगर, उमेश तंवर निवासी बीकानेर, सुमन मुखर निवासी ग्राम कोहला, बीरबल निवासी नागौर, सुरेश निवासी नागौर, राकेश कस्वा निवासी बीकानेर, विभीषण निवासी नागौर और रामलाल निवासी नागौर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पोरव कालेर पूर्व में ईओ-आरओ प्रकरण में जेल बंद है, जिसे प्रोडक्शन वारंट से तलब किया जाएगा।

गौरतलब है कि पोरव कालेर के विरूद्व पूर्व में भी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, रीट परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा,पटवारी परीक्षा भर्ती परीक्षा, महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा 2020 सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोरव कालेर द्वारा ईओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोरव कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रोपदी विश्नोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र घांसीराम निवासी खजवाना नागौर, रामलाल पुत्र तुलसाराम निवासी खजवाना नागौर, राकेश पुत्र चौनाराम, सुरेश पुत्र कैलाश, बीरबल पुत्र चौनाराम निवासी नागौर, विभिषण पुत्र ओमप्रकाश निवासी खजवाना, सुनिता निवासी गंगानगर, मनोज जाट निवासी सीकर, मनीष पुत्र रामस्वरूप निवासी नागौर, कृष्णा विश्नोई निवासी बीकानेर, सेठिया मेघवाल निवासी बिदासर, बीकानेर, कमलकांत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर, प्रेमचन्द्र ज्याणी पुत्र हनुमानाराम निवासी मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर, संगीता विश्नोई/रामस्वरूप खिलेरी निवासी फुलासर, बीकानेर, जितेन्द्र बिजारणिया पुत्र गोपालराम निवासी रूखासर, बबीता विश्नोई पत्नी बजरंग लाल निवासी काकडा को परीक्षा में नकल करवाई गई थी।

वी.के. सिंह. ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही आर.ए.एस. प्री-एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन्हें लेकर एस.ओ.जी. सतर्क है। साथ ही नकल करवाने वाले गिरोह पर नज़र रखी जा रही है, ताकि पेपरलीक जैसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908